विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टाक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश 2002*

सा.का.नि. 104 (अ) : केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आदेश में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता उचित कीमत पर सम्पूर्ण देश में सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(क) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 है।

(ख) इसका विस्तार भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर है।

(ग) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ

**(i) 'व्यौहारी' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो खंड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु का विक्रय करने के लिए उसक क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय या भंडारण के कारबार में लगा हुआ है चाहे वह थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या उत्पादक या विनिर्माता या निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हो और चाहे वह किसी अन्य कारबार में सहयोजित हो या नहीं जिसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है; किन्तु जिसके अंतर्गत चीनी का उत्पादक या विनिर्माता या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता नहीं है।

(ii) 'राज्य **सरकार**' के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है।

3. इस आदेश के प्रवृत्त होने के साथ ही कोई व्यौहारी स्वतंत्र रूप से किसी भी मात्रा में गेहूँ, धान/चावल, मोटा अनाज, (***प्याज और आलू) चीनी, खाद्य तिलहन, (****खाद्यतेल, दालें, गुड़, गेहूँ उत्पाद अर्थात् मैदा, रवा, सूजी, आटा, परिणामी आटा और चौकर) तथा हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल या वनस्पति का क्रय, भंडार, विक्रय,

---

* मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड I में संख्या 87 पर दिनांक 15 फरवरी 2002 को प्रकाशित।

** सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

*** का.आ. 1685 (अ) दिनांक 3 जुलाई 2014 द्वारा प्याज एवं आलू अंतःस्थापित।

**** सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून 2003 द्वारा खाद्य तेल के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग या उपभोग कर सकेगा और उसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अंतर्गत किसी अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

4. इस आदेश के उपबंध इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी प्रभावी होंगे, उस बात के सिवाय जिसे उसके अधीन ऐसे प्रारंभ के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

5. खंड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग या उपभोग की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्यथा द्वारा विनियमित करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रायल (खाद्य विभाग) द्वारा जारी की गई सा.का.नि. 452(अ), तारीख 25 अक्टूबर,1972 और भारत सरकार के तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा जारी सा.का.नि. 800, तारीख 9 जून, 1978 में प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित होगी।

6. इस आदेश की कोई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 और उसके अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

*"**7 (1)** इस आदेश के उपबंध, खण्ड 5 और 6 के सिवाय,

(**(i)30 सितम्बर, 2015*** तक की अवधि के लिए दालें, खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन;

(ii) चीनी 30 नवम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए, और

****(iii) धान और चांवल के संबंध में 30 नवम्बर 2014 तक की अवधि के लिए;)*****

इन वस्तुओं के क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण को लागू नहीं होंगे :

परन्तु इस खण्ड की कोई बात, इन वस्तुओं के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को न तो प्रभावित करेगी, न ही इन वस्तुओं के आयात को लागू होगी :

---

* का.आ. 654 (अ) दिनांक 30 मार्च 2011 द्वारा अंतःस्थापित।

** का.आ. 2927 (अ) दिनांक 27 सितम्बर 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

*** का.आ. 2559 (अ) दिनांक 30 सितम्बर 2014 द्वारा 30 सितम्बर 2014 के स्थान पर 30 सितम्बर 2015 प्रतिस्थापित।

**** का.आ. 2227 (अ) दिनांक 27 सितम्बर 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

***** का.आ. 3543 (अ) दिनांक 29 नवम्बर 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा प्रतिधारित स्टॉकों की घोषणा करें।

(2) इस आदेश के अन्य सभी उपबंध उप-खण्ड (1)* में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे।

****स्पष्टीकरण 1** : यदि कोई थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में समर्थ है कि उसने दालों, धान, चावल, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में अपने स्टॉकों का भाग आयात से प्राप्त किया है, तो उन्हें स्टॉक सीमाओं की संगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

****स्पष्टीकरण 2** : यदि, महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी किया गया आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक, कोई थोक विक्रेता अथवा फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चावल के संबंध में उसका पूरा स्टॉक अथवा उसका कोई भाग निर्यात के लिए तात्पर्यित है, तब निर्यात के लिए तात्पर्यित निर्धारित स्टॉक को स्टॉक सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा।

***"**7.** इस आदेश में की कोई बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में धान या चावल के मिल मालिकों या व्यौहारियों से लेवी के रूप में चावल उपापन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए लेवी आदेशों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।"

●●●

---

* का.आ. 2227 (अ) दिनांक 27 सितम्बर 2011 द्वारा (i) के स्थान पर (1) प्रतिस्थापित।

** का.आ. 77 (अ) दिनांक 9 जनवरी 2014 द्वारा स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित तथा पूर्ववर्ती स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यायित।

*** खण्ड 7 सा.का.नि. 490 (अ) दिनांक 16 जून 2003 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। बाद में का.आ. 654 (अ) दिनांक 30 मार्च 2011 द्वारा खण्ड 6 के बाद खण्ड 7 (1) जोड़ा गया। इसलिए इस खण्ड 7 को उक्त खण्ड 7 (1) के नीचे प्रकाशित किया जा रहा है। - संपादक